

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 642]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2010—पौष 6, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-51-2010-2-पांच(32).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915), की धारा 62 की उपधारा (3) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(9) एफ.एल.-9, एफ.एल.-10-क तथा एफ.एल.-10-ख अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर पर राज्य आबकारी विभाग के कम्प्यूटराइजेशन के लिए लीज लाइन या वायरलैस कनेक्टिविटी एवं अन्य संबद्ध सुविधा उपलब्ध कराएगा. वह भारसाधक अधिकारी के कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष को बाधा रहित विद्युत् प्रदाय की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा. ऐसी सुविधा पर होने वाला व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-51-2010-2-पांच, (32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-51-2010-2-पांच, (32), दिनांक 27 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th December 2010

F. No. B-1-51-2010-2-V (32).—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, after sub-rule (8), the following new sub-rule shall be inserted, namely :—

“(9) The F.L.-9, F.L.-10-A and F.L.-10-B licensees shall provide required facility for leased line or wireless connectivity and other related facility for computerization of State Excise Department at the licensed premises. He shall also provide facility for uninterrupted power supply to computer section of the office of officer in charge. The expenses on such facilities shall be borne by the licensee.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-51-2010-2-पांच, (33).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915), की धारा 62 की उपधारा (3) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, उपनियम (41) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(42) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर पर राज्य आबकारी विभाग के कम्प्यूटराइजेशन के लिए लीज लाइन या वायरलैस कनेक्टिविटी एवं अन्य संबद्ध सुविधा उपलब्ध कराएगा. वह भारसाधक अधिकारी के कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष को बाधा रहित विद्युत् प्रदाय की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा. ऐसी सुविधा पर होने वाला व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-51-2010-2-पांच, (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-51-2010-2-पांच, (33), दिनांक 27 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th December 2010

F. No. B-1-51-2010-2-V (33).—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4, after sub-rule (41), the following new sub-rule shall be inserted, namely :—

“(42) The licensee shall provide required facility for leased line or wireless connectivity and other related facility for computerization of State Excise Department at the licensed premises. He shall also provide facility for uninterrupted power supply to computer section of the office of officer in charge. The expenses on such facilities shall be borne by the licensee.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-51-2010-2-पांच, (34).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915), की धारा 62 की उपधारा (3) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (21) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(22) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर पर राज्य आबकारी विभाग के कम्प्यूटराइजेशन के लिए लीज लाइन या वायरलैस कनेक्टिविटी एवं अन्य संबद्ध सुविधा उपलब्ध कराएगा. वह भारसाधक अधिकारी के कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में बाधा रहित विद्युत् प्रदाय की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा. ऐसी सुविधा पर होने वाला व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-51-2010-2-पांच, (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-51-2010-2-पांच, (34), दिनांक 27 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th December 2010

F. No. B-1-51-2010-2-V (34).—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (21), the following new sub-rule shall be inserted, namely :—

“(22) The licensee shall provide required facility for leased line or wireless connectivity and other related facility for computerization of State Excise Department at the licensed premises. He shall also provide facility for uninterrupted power supply to computer section of the office of officer in charge. The expenses on such facilities shall be borne by the licensee.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl.Secy.